

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 244 / 2024

दिनांक : 19 .01.2024

**श्रीमती कविता कच्छवाहा (RJ01037)**, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता को दिनांक 29.01.2024 से 26.07.2024 तक 180 दिवस का **मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान)** दिनांक 26.01.2024 से 28.01.2024 एवं 27.07.2024 से 28.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

**श्रीमती निधि तुनवाल (RJ01356)**, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता को श्रीमती कविता कच्छवाहा के उक्त **मातृत्व अवकाश** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. **श्रीमती निधि तुनवाल (RJ01356)**, जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 19.01.2024

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/25/2016/585

दिनांक.19 .01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 113 दिनांक 08.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती कविता कच्छवाहा (RJ01037)**, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता।
5. **श्रीमती निधि तुनवाल (RJ01356)**, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार